प्रेसनोट, दिनांक 03.04.2026

थाना दही, जनपद उन्नाव

गैर इरादतन हत्या का आरोपी पुत्र गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को गिऱफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 03.04.2026 को थाना दही पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 03.04.2026 को प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त सचिन पुत्र स्व0 रामखेलावन निवासी रामपुर खालसा थाना दही जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सचिन पुत्र स्व0 रामखेलावन निवासी रामपुर खालसा थाना दही जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. .प्र0नि0श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
2. वरि0 उ0नि0 प्रेमचन्द्र सिंह
3. का0 कौशिन्द्र कुमार
4. का0 रोहित कुमार

धोखाधड़ी व जालसाजी कर रूपयो का गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी कर रूपयो का गबन करने वाले अभियुक्त को गिऱफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 19.02.2025 को विकास पुत्र श्रीसुखवीर सिंह निवासी ग्राम टेनई, कोरारी कला थाना माखी जनपद उन्नाव द्वारा थाना दही पर तहरीर दी कि मैं भारत फानेन्सियल इन्क्लूजन लिमिटेड उन्नाव में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी कम्पनी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार हेतु निर्धन महिलाओ को सूक्ष्म लोन वितरित कर साप्ताहिक ऋण वसूली की प्रक्रिया संगम मैनेजर द्वारा की जाती है एवं संगम मैनेजर द्वारा बी०सी०एम० के पास धनराशि जमा की जाती है। हमारी शाखा के ब्रांच कैडिट मैनेजर बी०सी०एम० सुरेश कुमार (आई0डी 13116) पुत्र पूर्णमासी निवासी सेंहगो पश्चिम गांव जनपद रायबरेली उ0प्र0 229311 ने ब्रांच के सेफ लॉकर में रखी धनराशि 3,83,841/- रू0 तत्कालीन शाखा प्रवन्धक सनोज कुमार से एकराय होकर निकाल लिया। ऑडिट के दौरान दिनांक 20 अप्रैल 2024 को इसके बारे में पता चाल तो इसके साथ ही उपरोक्त शाखा सनोज कुमार पुत्र रणवीर यादव निवासी नीमदाना, पोस्ट चकर नगर, जिला इटावा उ0प्र0 में कई सेंटर की विभिन्न महिलाओ से 5,70,301/- रू0 प्री-पेमेन्ट व सेफ लोन द्वारा प्राप्त कर शाखा कार्यालय में नहीं जमा किया और अपने निजी उपयोग में ले लिया तथा सुरेश कुमार ने कई महिलाओ से प्री-पेमेन्ट व सेफ लोन कराकर 6,63, 124/- रू0 अपने निजी उपयोग में ले लिया। ठीक उसी प्रकार शीतला प्रसाद अवस्थी ने भी महिलाओ से प्री-पेमेन्ट व सेफ लोन कराकर 81,432/- रू0 अपने निजी उपयोग में ले लिया। इस प्रकार सुरेश कुमार बी०सी०एम० व ब्रांच मैनेजर सनोज कुमार व

शीतला प्रसाद अवस्थी तीनो उपरोक्त प्रकार से गबन के सहभागी है। इस प्रकार तीनो की मिलीभगति से कुल मिलाकर 16,98,698/-रू0 का गबन किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दही पर मु0अ0सं0 38/2025 धारा 409 भादवि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.04.2026 को उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र पूर्णमासी रावत निवासी सेंहगो पश्चिम गाँव थाना बछरांवा जनपद रायबरेली उम्र करीब 40 वर्ष को बछरांवा रेलवे क्रासिंग पुल के नीचे जनपद रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुरेश कुमार पुत्र पूर्णमासी रावत निवासी सेंहगो पश्चिम गाँव थाना बछरांवा जनपद रायबरेली उम्र करीब 40 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 उ0नि0 श्री पंकज कुमार सोनकर

2. का0 प्रमोद कुमार

प्रेसनोट, दिनांक 03.04.2026
थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव

आवेदकों के खाते में 50000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा आवेदकों के खाते में 50000/- रूपये की सम्पूर्ण धनराशि रिफण्ड करायी गयी।

प्रकरण 1 – दिनांक 30.03.2026 को शादिक अहमद पुत्र लईक अहमद निवासी 391 पश्चिमखेडा जेल रोड कोतवाली सदर जनपद-उन्नाव द्वारा सूट के व्यवसाय हेतु माल भेजने के नाम पर यूपीआई के माध्यम से 25000/- रूपये की साइबर ठगी होने विषयक प्रार्थना पत्र दिया गया था।

प्रकरण 2- दिनांक 26.03.2026 को गोविन्द यादव पुत्र रामनारायण निवासी कब्बा खेडा थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा जमीन दिलाये जाने के नाम पर गूगल पे के माध्यम से 10000/- रूपये की साइबर ठगी होने विषय दिया था।

प्रकरण3- दिनांक 23.01.2026 को संतोष कुमार कुशवाहा पुत्र रामनारायण कुशवाहा निवासी राजेपुर थाना कोतवाली सदर उन्नाव द्वारा लिंक पर क्लिक करने के कारण आनलाइन पेमेन्ट एप के माध्यम से 15000/- रूपये की साइबर ठगी होने विषयक प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर थाना कोतवाली साइबर टीम उन्नाव द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 03.04.2026 को आवेदको की फ्राड की गयी सम्पूर्ण धनराशि 50000/- रूपये रिफण्ड करायी गयी।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक चन्द्रकान्त मिश्र

अप0निरी0 राजेश यादव

महिला आरक्षी सोनिया

UNNAO POLICE

प्रेसनोट, दिनांक 03.04.2026

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव

आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभियुक्त को गिऱफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0 107/2026 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 03.04.2026 को उ0नि0 श्री हरिओम सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभयुक्त नीरज पुत्र देवीप्रसाद निवासी चक्कुशहरी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 21 वर्ष को गजफ्फर नगर बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नीरज पुत्र देवीप्रसाद नि0 चक्कुशहरी थाना हसनगंज जनपद उन्नाव उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री हरिओम सिंह

का0 देवप्रकाश दूबे

का0 जितेन्द्र यादव